

78
40

राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।

क्रमांक: - पा. ॥ कार्मिक/अस्पताल/99/2480

दिनांक: - 26-10-99

कार्यालय आदेश


राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा में विक्रतार करते हुये संजीवनी हास्पिटल एवम् मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 1-2, लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर को सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न विशेष शर्तों के साथ चिकित्सा उपभोग हेतु मान्यता दी जाती है ।

विशेष शर्तें:-
=====

॥॥ हास्पिटल द्वारा रोगी की विभिन्न जाँचों पर 1 टैस्ट।
50% राशि की छूट देय होगी ।


इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मण्डल द्वारा अन्य प्राइवेट हास्पिटलों पर लागू है, इस पर भी लागू होगी ।

उक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है ।


सचिव 26/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 11। निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज0 आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 12। वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव/वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/अति. सु. अभियन्ता.....
- 13। उप आवासन आयुक्त वृत्त...../आवासीय अभियन्ता, खंड.....
- 14। लेखाधिकारी । वित्त।/लेखाधिकारी । भुगतान। रा. आममंडल, जयपुर ।
- 15। समस्त अधिकारी /प्रकोष्ठ । मुख्यालय।.....
- 16। डायरेक्टर, संजीवनी हास्पिटल, 1-2, लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर ।
- 17। रक्षित पत्रावली /नोटिस बोर्ड ।


सचिव 26/10
9/10